

दामोदर घाटी निगम /DAMODAR VALLEY CORPORATION

वित्त विभाग, लेखा स्कंध /FINANCE DEPTT., ACCOUNTS WING पेंशन अनुभाग /PENSION SECTION

डीवीसी टावर्स: वीआईपी रोड, कोलकाता - 700054 DVC TOWERS: VIP ROAD, KOLKATA - 700 054 PHONE NO. (033) 6607 2444/6607 2437/ 2446/2436

सं. एओ/पेंशन/लाइफ सर्टिफिकेट/2024/- *565*

Date: 22-10-2024

No. AO/Pension/Life Certificate/2024/- 565

Date:22-10-2024

विषय: वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना Sub: Submission of Annual Life Certificate

दामोदर घाटी निगम का प्रत्येक पेंशनभोगी को पेंशन को आगे जारी रखने के लिए नवंबर के महीने में वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (अक्टूबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए विशेष प्रावधानों के साथ)। इसलिए, सभी डीवीसी पेंशनरों के ध्यान में लाया जाता है कि, नियमों के अनुसार पेंशनभोगियों को हर साल 01-30 नवंबर के बीच भुगतान करने वाली बैंक शाखा को जीवन प्रमाण पत्र / गैर-विवाह प्रमाण पत्र / गैर-रोजगार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है (या) पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं . अधिक जानकारी के लिए कृपया पेंशन और पेंशनभोगी पेंशनर्स पोर्टल पेज के विभाग (डीवीसी तहत प्रकाशित) 1(2)/2023-पीएंडपीडब्ल्यू(एच)-8869 दिनांक 09-08-2024 के माध्यम से भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापन देखें।

Every Pensioner of DVC has to submit Annual Life Certificate in the month of November (with special provisions for pensioners aged 80 years and above to submit Life Certificates in the Month of October) for further continuation of Pension. Therefore, this is to bring to the notice of all DVC pensioners that, as per rules pensioners are required to furnish a Life Certificate/Non- Marriage Certificate / Non- employment Certificate to the Paying Bank Branch between 01-30 November in every year (or) Pensioners can submit Life Certificate online through Jeevan Pramaan Portal. further details please refer the GOI OM vide No. 1(2)/2023-P&PW(H)-8869 dtd 09-08-2024 of Department of Pension and Pensioners' Welfare (published under DVC Pensioners' Portal page).

- (क) सभी नियमित पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी जिनकी पेंशन संशोधित पेंशन भुगतान प्रणाली के तहत पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक और केनरा बैंक के माध्यम से वितरित की जा रही है, से अनुरोध है कि वे अखिल भारतीय आधार पर भुगतान करने वाली बैंक शाखा में अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें (या) नीचे दिए गए क्षेत्रों का चयन करके जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं;
- (A) All the Regular Pensioners & Family Pensioners whose pension is being disbursed through Punjab National Bank, Bank of India, UCO Bank, Union Bank and Canara Bank under Modified Pension Payment System are requested to submit their life certificate at paying Bank branch on pan India basis (or) can submit their Life Certificate online through Jeevan Pramaan Portal by Selecting the following fields as below;

Pension Section Authority	Damodar Valley Corporation
Pension Disbursing Agency	Respective Bank (i.e PNB/
/Authority	BOI/ UCO Bank/ Union Bank of
	India/Canara Bank).
Agency	Respective Bank (i.e PNB/
	BOI/ UCO Bank/ Union Bank of
	India/Canara Bank).

(खा) नियमित पेंशनभोगी (पारिवारिक पेंशनभोगियों के अलावा) जिनकी पेंशन संशोधित पेंशन भुगतान प्रणाली के तहत भारतीय स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से वितरित की जा रही है, उनसे अनुरोध है कि वे अखिल भारतीय आधार पर भुगतान करने वाली बैंक शाखा में अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें (या) नीचे दिए गए क्षेत्रों का चयन करके जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं;

(B) Regular Pensioners (other than Family Pensioners) whose pension is being disbursed through State Bank of India & Central Bank of India under Modified Pension Payment System are requested to submit their life certificate at paying Bank branch on pan India basis (or) can submit their Life Certificate online through Jeevan Pramaan Portal by Selecting the following fields as below;

Pension Section Authority	Damodar Valley Corporation
Pension Disbursing Agency	Respective Bank (i.e SBI/ Central
/Authority	Bank of India).
Agency	Respective Bank (i.e SBI/ Central
	Bank of India).

उपरोक्त विवरणों के साथ प्रस्तुत डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र केवल संबंधित बैंकों द्वारा लिए जाएंगे और तदनुसार पेंशन जारी रखी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नियमित पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी जो उपरोक्त बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, संबंधित बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं और तदनुसार जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं.

Digital Life Certificates submitted with above details only will be captured by respective banks and pension will be continued accordingly. For more details the regular pensioners and Family Pensioners whose are drawing pension through above Banks can visit the respective bank's website and submit the life certificate accordingly.

(ग) पारिवारिक पेंशनभोगी (यानी नियमित पेंशनभोगियों के अलावा) जिनका खाता एसबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ है, उनसे अनुरोध है कि वे भुगतान करने वाली बैंक शाखा में अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें (या) नीचे दिए गए क्षेत्रों का चयन करके जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं;

(C) Family Pensioners (i.e other than Regular pensioners) whose account is with SBI & Central Bank of India are requested to submit their life certificate at paying Bank branch (or) can submit their Life Certificate online through Jeevan Pramaan Portal by Selecting the following fields as below;

Pension Section Authority	Damodar Valley Corporation
Pension Disbursing Agency	Damodar Valley Corporation
/Authority	
Agency	Damodar Valley Corporation

जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश और एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन का उपयोग करके आधार पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डीएलसी जमा करने के लिए एसओपी, डीवीसी पेंशनर्स पोर्टल पेज के तहत संदर्भित हो सकते हैं।

Guidelines for submission of Digital Life Certificate through Jeevan Praaman portal and SOP for submission of DLC through Face Authentication Technology based on Aadhaar using Android based smartphone, may refer under DVC Pensioners' Portal page.

जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में किसी भी कठिनाई के मामले में, पेंशन अनुभाग, डीवीसी, कोलकाता से संपर्क कर सकते हैं।

In case of any difficulties in submission of life certificate, may contact to Pension Section, DVC, Kolkata.

अदानद्व मुखाप्नी मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) 22/10/24

Cheif General Manager (Finance) दा घा नि, कोलकाता DVC, Kolkata